न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 20/2019 G.C.M.S. No. 2019/00258 दर्ज दिनांक : 23.04.2019

अपीलार्थिगण:

1. घेवरराम पुत्र हिम्मताराम जाति माली के कायम मुकाम:–
   1. शंकरलाल पुत्र घेवरराम
   2. संपतराज पुत्र घेवरराम जातिगण माली निवासीगण सोजतसिटी तहसील सोजत जिला पाली।
   3. पारीदेवी पत्नि भंवरलाल जाति माली निवासी गुरूशिखर बैंक के पास, सोजतसिटी तहसील सोजत जिला पाली।
   4. शायरीदेवी पत्नि चोलाराम जाति माली निवासी बिलाडीया गेट के बाहर, सोजतसिटी तहसील सोजत जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. नोजी पत्नि भाणाराम
2. किशनलाल पुत्र भाणाराम
3. नारायणलाल पुत्र भाणाराम
4. भीकाराम पुत्र छोगाराम के कायम मुकाम:–
   1. मोहनलाल पुत्र भीकाराम जाति माली निवासी सोजतसिटी हाल निवासी भाग्यलक्ष्मी ज्वैलर्स पाउन ब्रोकर्स 91–6 के.डी.एम. गोल्ड एण्ड सिल्वर शोरूम ओपोजिट श्री भगवती इलेक्ट्रिक हार्डवेयर पेन्ट्स थुकगुडा मण्डल, महेश्वरम आर.आर. डिस्ट्रिक्ट 501259
   2. रामलाल पुत्र भीकाराम
   3. लक्ष्मणराम पुत्र भीकाराम जातिणग माली निवासीगण धोलीबाड़ी का बास, हाडिया कुआ, सोजतसिटी तहसील सोजत जिला पाली।
   4. नन्दू देवी पत्नि नारायणलाल पुत्र भीकाराम जाति माली निवासी हाडिया कुआं, सोजतसिटी तहसील सोजत जिला पाली।
   5. खुमाराम पुत्र भानाराम जाति माली सोजतसिटी तहसील सोजत जिला पाली के कायम मुकाम :–
      - 5/1 सेणी विधवा खुमाराम
      - 5/2 राजाराम पुत्र खुमाराम
      - 5/3 सूर्यप्रकाश पुत्र खुमाराम
      - 5/4 शांतिदेवी पुत्री खुमाराम जाति माली निवासीगण हायर सैकेण्डरी स्कूल रोड़, सोजतसिटी तहसील सोजत जिला पाली।
      - 5/5 रामचन्द्र पुत्र खुमाराम जाति माली निवासी धोलीबाड़ी का बास, सोजतसिटी तहसील सोजत जिला पाली।
      - 5/6 देवाराम पुत्र खुमाराम जाति माली निवासी हायर सैकेण्डरी स्कूल रोड़, सोजतसिटी तहसील सोजत जिला पाली।
      - 5/7 पुष्पादेवी पुत्री खुमाराम पत्नि सुजाराम जाति माली निवासी पाली रोड़, सोजतसिटी तहसील सोजत जिला पाली।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

6. कुकी विधवा नारायण मृतक के कायम मुकामः–
   6/1 ओमप्रकाश पुत्र नारायण
   6/2 पिस्ता पत्नी गणपत पुत्री नारायण जातिगण माली निवासीगण मालियों का बड़ा बास, सोजतसिटी तहसील सोजत जिला पाली।
7. पुनाराम पुत्र हेमाराम जाति माली, निवासी पाली दरवाजा रोड, मृतक के कायम मुकामः–
   7/1 नारायणलाल पुत्र पुनाराम जाति माली निवासी धोलीबाड़ी का बास, पाली दरवाजा, सोजतसिटी तहसील सोजत जिला पाली।
   7/2 गोरधनलाल पुत्र पूनाराम
   7/3 किशन पुत्र पुनाराम जातिगण माली निवासीगण सोनराजजी के फिल्ड के सामने, पाली रोड़, सोजतसिटी, तहसील सोजत, जिला पाली
   7/4 सुन्दरीदेवी पत्नि पुनाराम जाति माली धोलीबाड़ी का बास, पाली दरवाजा, सोजतसिटी तहसील सोजत जिला पाली।
   7/5 किरण उर्फ किन्या पत्नि राजु पुत्री पुनाराम जाति माली निवासी नंबर 1 स्कूल के पास, नयापुरा, सोजतसिटी तहसील सोजत जिला पाली।
   7/6 इन्द्रा पत्नि मोहन पुत्री पुनाराम जाति माली निवासी मेला का चौक, सोजतसिटी, तहसील सोजत व जिला पाली।
8. हुदीदेवी उर्फ सुदीदेवी पत्नि नाथुरामजी पुत्री घेवरराम जाति पालरिया माली निवासी नृसिंहपुरा कॉलोनी, दिल्ली दरवाजा रोड़, सोजतसिटी, तहसील सोजत व जिला पाली।
9. तहसीलदार भूमिधारक सोजत, तहसील सोजत व जिला पाली।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखंड अधिकारी सोजत द्वारा राजस्व वाद संख्या 13/1996 बअनवान घेवरराम के कायम मुकाम शंकरलाल वगैरह बनाम नौजी वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.02.2019

पैरोकार–

1. श्री संपतराज मेहता, श्री गजेन्द्रकुमार मेहता, श्री बी.आर. चौधरी, विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स।
2. श्री नवीन दवे, श्री रमेश टांक, श्री अभय व्यास,च श्री प्रफुल्ल ओझा, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट्स।

निर्णय

दिनांकः 20.06.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखंड अधिकारी सोजत द्वारा राजस्व वाद संख्या 13/1996 बअनवान घेवरराम के कायम मुकाम शंकरलाल वगैरह बनाम नौजी वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.02.2019 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

यह कि अपीलांट्स ने रेस्पोंडेंट्स के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर सरहद मौजा सोजत चक 1 में खसरा संख्या 4225 से 4269 कुल किता 45 खसरा कुल रकबा 14.22 हैक्टेयर कृषि भूमि के संबंध में बंटवाडा एवं स्थाई घोषणा का अनुतोष चाहा, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित की हैं। जोकि विधि के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत है। चूंकि इस वाद में दावा एवं जवाबदावा के आधार पर न तो तनकीयात कायम की गई न ही उभयपक्ष की साक्ष्य ली गई एवं रेस्पोंडेण्ट/प्रतिवादी संख्या 8 सुदी देवी के क्रोस सूट के आधार पर तनकी बना कर के रेस्पोंडेण्ट/प्रतिवादी संख्या 8 सुदी देवी की साक्ष्य में रख दी गई व केवल सुदी देवी के बयान लिये गये। अपीलाण्ट/वादीगण ने दिनांक 14.09.2006 को वाद में आए अभिवचन के अनुसार तनकीयात बनायी जाकर के अपीलाण्ट/वादीगण को साक्ष्य देने का पहले अवसर प्रदान किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जो प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। इसके साथ ही इस वाद में वादीगण के अभिवचन में यह स्पष्ट अभिकथन आया है कि मूल वादी घेवरराम ने सभी हिस्सेदारों की सहमति से वाद पत्र प्रस्तुत करने से 15 वर्ष पूर्व खसरा संख्या 4269 के दक्षिणी करीब 1/4 हिस्से पर मकान बनवाया है, बंटवाड़ा डिवीजन ऑफ हॉल्डिंग करते समय यह हिस्सा वादी के हिस्से में रखा जावे। इस अभिकथन का प्रतिवादीगण ने इंकार करते हुए खातेदारान की सहमति लेने से इंकार किया हैं एवं 35–40 वर्ष पूर्व बंटवाड़ा हो चुका होने व बिना किसी अन्य खातेदार की सहमति के अपने–अलग बंटे हिस्से में आयी कृषि भूमि को संपरिवर्तन करवाये बगैर अवैध रूप से मकान निर्माण करने का अभिकथन किया है। जिसके आधार पर भी कोई न तो तनकी बनायी गयी हैं, न कोई साक्ष्य ली गई। अधिनस्थ न्यायालय ने वादीगण के उक्त मकान के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं कर भारी भूल की हैं। मूल प्रतिवादी संख्या 7 पूनाराम ने खसरा संख्या 4263 पर खुलेआम न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए बिना औद्योगिक भू–रूपान्तरण करवाये लादियों की फैक्ट्री बनाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया, तब उसे रोकने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर कमिश्नर उस खसरा संख्या 4263 की स्थिति निरीक्षण करने हेतु नियुक्त फरमाने हेतु निवेदन किया गया। कमिश्नर ने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के रिपोर्ट पेश कर दी, जिस पर आपत्ति की गई। उक्त कमिश्नर रिपोर्ट पर वादीगण ने अपने हस्ताक्षर नहीं किये। पूनाराम द्वारा न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने के सम्बन्ध में उसे दण्डित करने हेतु अलग से कार्यवाही जैर तजबीज हैं। इस सभी तथ्यों को अधिनस्थ न्यायालय ने दरकिनार कर दिया। हस्तगत प्रकरण में आदेश 14 नियम 5 सी.पी.सी का प्रार्थना पत्र खारिज कर अधिनस्थ न्यायालय ने माकूल तनकीयात नहीं बना कर पक्षकारान को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर न देकर

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

के भूल की हैं। अधिनस्थ न्यायालय के आदेश जो आदेश 14 नियम 5 सी. पी.सी. पर दिया गया था, उसे उपर के न्यायालयों में अवश्य चुनौती दी गई थीं, परन्तु अपर न्यायालयों द्वारा अपीलीय क्षेत्राधिकार अख्तियार नहीं किये गये हैं। ऐसी स्थिति में ऊपर के न्यायालय के आदेश श्रीमान के आदेश में मर्ज हो गये। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री विधिविरुद्ध है। इसके अतिरिक्त प्रकरण में अपीलाण्ट/वादीगण ने यह स्पष्ट रूप से अभिकथन किया हैं कि राजस्व रेकर्ड में घेवरराम जी का फौतेदगी म्यूटेशन रेस्पोंडेण्ट/प्रतिवादी संख्या 8 सुदी देवी ने बिल्कुल ही गलत दर्ज करवाया है। जिसमे सुदी देवी व घेवरराम जी की बेटियां अपीलाण्ट/वादीगण संख्या 4 व 5 का हिस्सा गलत दर्ज हुआ है। केवल घेवरराम जी के हिस्से का कब्जा काश्त अपीलाण्ट/वादीगण संख्या 1 से 2 का ही हैं, उक्त घेवररामजी के फौतेदगी म्यूटेशन के प्रभाव में रेवेन्यू रेकर्ड में अपीलाण्ट/वादीगण संख्या 1 व 2 का हिस्सा कम दर्ज हुआ है व अपीलाण्ट वादीगण संख्या 4 व 5 एवं रेस्पोंडेण्ट प्रतिवादी संख्या 8 को कोई खातेदारी हक प्राप्त नहीं हुए हैं। वादस्थ कृषि भूमि का म्यूटेशन इस वाद के लम्बित के दौरान करवाया गया हैं। इसलिये भी प्रभाव शून्य हैं। इसके अतिरिक्त प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय ने प्राथमिक डिकी जारी तो की हैं, परन्तु स्पष्ट रूप से किस पक्षकार का कितना हिस्सा होगा व किस पक्षकार ने कैसे एवं कब वादग्रस्त भूमि पर क्या निर्माण किया है, किसकी सहमति से किया है, वह निर्माण बनाये रखे जाने योग्य है या ध्वस्त किये जाने योग्य है, वह निर्माण यदि कायम रखा जाता है तो बंटवाड़े में किसके हिस्से में जायेगा, बंटवाड़ा हर टुकड़ों में किये जायेंगे या नाप अनुसार एक–एक चक बंटवाड़े में दिये जायेंगे, रोड़ साईड जमीन व अन्दर की जमीन का विभाजन कैसे होगा आदि महत्वपूर्ण तथ्यों का निर्णय नहीं किया हैं। प्राथमिक डिक्री अपने आप में पूर्ण होना आवश्यक हैं। प्राथमिक डिक्री में विवादग्रस्त कृषि भूमि का पूरा विवरण, उसके खातेदारान का पूरा नाम एवं पता व पक्षकारान के हिस्से आदि का पूरा–पूरा विवरण दिया जाना मैण्डेटरी हैं। प्राथमिक डिक्री में किसी अन्य दस्तावेजात को रैफर नहीं किया जा सकता हैं। ऐसी स्थिति में प्राथमिक डिक्री एवं निर्णय विधि विरूद्ध हैं एवं निरस्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व प्राथमिक डिक्री अपास्त फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट वादीगण द्वारा अधीनस्थ विचारण न्यायालय में रेस्पोंडेंट प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादग्रस्त आराजीयात के बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र वर्ष 1996 में प्रस्तुत किया, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 25.02.2019 द्वारा स्वीकार कर वादग्रस्त आराजीयात पर माफिक दर्ज हक, हिस्सेनुसार वादीगण के हिस्से का पक्षकारानों में बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स किया जाकर खाता व लगान अलग–अलग किये जाने बाबत प्राथमिक डिक्री पारित की गई। जिसके विरूद्ध वादीगण अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई।

2. विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध अपीलांट वादी के वादपत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि "वादी द्वारा वादपत्र के पद संख्या 1 में अंकित वादग्रस्त अविभाजित सहखातेदारी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स सही नाप करवाकर बंटवाड़ा कर वादी का 1/8 हिस्सा अलग करते हुए खसरा संख्या 4269 जिसमें वादी का मकान बना हुआ है। उस हिस्से को वादी के हिस्से में रखा जाकर लगान अलग–अलग मुकर्रर कर तदनुसार रिकॉर्ड में अलग–अलग दर्ज किया जावें।" मुख्य अनुतोष के रूप में चाहा गया है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री द्वारा वादपत्र स्वीकार करते हुए बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स मुताबिक रेकर्ड वादी का हिस्सा पृथक किये जाने बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री द्वारा वादी को वांछित अनुतोष प्रदान किया गया है। जहां तक खसरा संख्या 4269 में निर्मित वादी के मकान के हिस्से को वादी के हिस्से में रखे जाने का अनुतोष है, के संबंध में हमारा विनम्र मत है कि चूंकि विचारण न्यायालय द्वारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन बाबत डिक्री पारित की गई हैं। जिसकी पालना में संबंधित तहसीलदार द्वारा मौके पर उपस्थित होकर राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 20 व 21 के अंतर्गत विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय मौके पर निर्माण व कब्जेकाश्त को ध्यान में रखते हुए भी विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाना होता है। अतः इस संबंध में प्राथमिक डिक्री के स्तर पर किसी प्रकार का अनुतोष दिया जाना शेष नहीं रह जाता है।

3. अपीलांट द्वारा यह भी उज्र लिया गया है कि प्रकरण में विवाद्यकवार निर्णय पारित नहीं किया है, अतः अपीलाधीन निर्णय व डिक्री काबिल अपास्त है, के संबंध में विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से हमारा विनम्र मत है कि विचारण न्यायालय में "दिनांक 23.03.2018 को प्रतिवादी संख्या 1 से 8 ने लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 9 सुदी देवी का 1/8 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 से 3

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

का 1/8 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 भीकाराम के वारिसान का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 खुमाराम के वारिसान का 1/8 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 6 व 7 का 1/8 एवं प्रतिवादी संख्या 8 पुनाराम के वारिसान का 1/4 हिस्सा रिकॉर्ड में दर्ज है। अतः इसी मुताबिक प्रारंभिक आज्ञप्ति सादिर फरमाई जाकर बंटवाड़ा प्रस्ताव तहसीलदार सोजत से तलब फरमाया जावें। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 से 8 द्वारा जिनके विरूद्ध अपीलांट्स के पूर्वज वादी शंकरलाल द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर अपने 1/8 हिस्से को बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन की मांग की थीं, को स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री किए जाने हेतु सहमति प्रदान की गई।" प्रतिवादी संख्या 9 सुदीदेवी मृतक वादी शंकरलाल की विधिक वारिसान है। जिसका शंकरलाल के वारिसान के रूप में शंकरलाल के हक, हिस्से की आराजी में हिस्सा निहित है या नहीं, यह विषय हस्तगत वादपत्र का विचारणीय विषय ही नहीं हैं। हस्तगत वादपत्र विभाजन से संबंधित है। जिसमें किसी विधिक वारिसान का कानूनन हक, हिस्सा निहित है या नहीं, का निर्णयन नहीं किया जा सकता। इस संबंध में संबंधित पक्षकार पृथक से संगत विधिक प्रावधानों में सक्षम स्तर पर चाराजोही करने के लिए स्वतंत्र है। अतः जब प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वादपत्र को स्वीकार कर लिया जाता है, ऐसी स्थिति में विवाद्यकवार विवेचन व निर्णयन अपेक्षित नहीं होकर वादपत्र वांछित अनुतोष अनुरूप डिक्री किया जाना होता है तथा हमारे विनम्र मत में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा इसी अनुरूप अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर किसी प्रकार की विधिक त्रुटि या भूल नहीं की हैं।

4. अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील में यह भी उज्र लिया गया है कि आदेश 14 नियम 5 सीपीसी का प्रार्थना पत्र जो अपीलांट वादी द्वारा विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिसे विचारण न्यायालय द्वारा खारिज किया गया तथा माकूल तनकीयात कायम नहीं कर एवं साक्ष्य का अवसर नहीं देकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में गलती की हैं, के संबंध में विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संबंध में आदेश दिनांक 22.11.2006 के संबंध में अपीलांट वादी द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में रिवीजन प्रस्तुत की गई, जिसे माननीय राजस्व मण्डल द्वारा निर्णय दिनांक 06.01.2016 द्वारा अस्वीकार किया गया, जिसके विरूद्ध वादी अपीलांट द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में एसबी सिविल रिट पिटीशन संख्या 1542/2016 जिसे माननीय न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 27.11.2017 को अस्वीकार किया गया। जिसके विरूद्ध वादी अपीलांट द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में डीबी स्पेशल अपील रिट संख्या 296/2018 प्रस्तुत की। जिसे माननीय न्यायालय द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय दिनांक 05.02.2018 को खारिज करते हुए विचारण न्यायालय एसडीओ सोजत को छः माह के भीतर विधिनुरूप वाद निर्णित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। जिसके विरूद्ध वादी अपीलांट द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में स्पेशल लीव अपील संख्या 15.08.2022/2018 प्रस्तुत की। जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि उक्त बिंदु पूर्व में ही सभी माननीय न्यायालयों द्वारा अंतिम रूप से विनिश्चित किया जा चुका है। अतः इस स्तर पर कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं हैं एवं न ही अपीलांट को यह उज्र हस्तगत अपील में लिये जाने का कानूनन अधिकार है। अतः यह उज्र स्वीकार योग्य नहीं हैं।

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र मत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित करने में पूर्णतया असफल रहे हैं तथा विचारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना अपेक्षित नहीं हैं। अतः अपील अपीलांट बखूबी साबित नहीं होने से खारिज करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की पुष्टि किया जाना विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखंड अधिकारी सोजत द्वारा राजस्व वाद संख्या 13/1996 बअनवान घेवरराम के कायम मुकाम शंकरलाल वगैरह बनाम नौजी वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.02.2019 की पुष्टि की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **20.06.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी पाली
पाली

Scanned with OKEN Scanner